तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4131/2019/जयपुर</u>** **रामचन्द्र बनाम धापूदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी

(2) श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 24.02.2021**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 11–7–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी, फागी ने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11.07.2019 से बिना आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी व धारा 207 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम को समझे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में वर्णित द्वितीय अनुसुची में वर्णित वादों की सुनवाई का श्रवणाधिकार हैं। वादी/ अप्रार्थी संख्या 1 वाद उक्त अनुसूची में नहीं आने से वाद पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरकरण संख्या 203 दिनांक 11.06.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4131/2019/जयपुर</u>** **रामचन्द्र बनाम धापूदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1967 को पंजीबद्ध किया गया जिसका 50 वर्ष हो गये। उक्त नामान्तरकरण से वादीया/अप्रार्थी संख्या 1 पीड़ित थी या उसको विवादग्रस्त हक प्राप्त नहीं हुआ तो उसके बाबत चाराजोही करनी चाहिए थी जो विगत 50 वर्षो से नहीं की। वादीया/ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पैतृक भूमि बताते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीया/अप्रार्थी संख्या 1 को कानूनन वाद लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। वाद मियाद बाहर है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

4– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने जो तथ्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में अंकित किये हैं वह आदेश 7 नियम 11 के उपबन्धों के तहत नहीं आते हैं।प्रतिवादी द्वारा उठाई गई समस्त आपतियों का न्याय निर्णयन जबाब दावा आने के पश्चात ही तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर ही निस्तारण किया जा सकता है। प्रकरण में तथ्यों एवं विधिक का मिश्रित बिन्दु है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपने कथन के समर्थन में 2008 (3) सिविल कोर्ट केस पेज 681, 2016 (2) सीजे (सिविल) (एस.सी) पेज 399 की नजीरें पेश की।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत प्रकरण व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 से सम्बन्धित है। जिसके प्रावधान निम्न प्रकार है :–

> Rejection of plaint - The plaint shall be rejected in the following cases :-
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
>
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4131/2019/जयपुर</u>** **रामचन्द्र बनाम धापूदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relied claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

(e) Where it is not filed in duplicate;

(f) Where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule9:

7– आदेश 7 नियम 11 के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद में वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति में ही इन प्रावधानों के तहत वाद को खारिज किया जा सकता है, विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह भी प्रतिपादित किया है कि यदि किसी बिन्दु को सिद्ध करने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उस बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों एवं विधि का मिश्रित बिन्दु निहित है। इसलिये प्रारम्भिक स्तर पर प्रस्तुत वाद को आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता इसलिए आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज करनें में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक भूल नहीं की है। वर्तमान प्रकरण में वादीया ने दावा कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने पति स्व.हरनाथ की सम्पति के बाबत घोषणा का पेश किया है जो राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। वाद कारण एवं मियाद का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित बिन्दु है जो जवाबदावा आने के पश्चात तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है।

8– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4131/2019/जयपुर</u>** **रामचन्द्र बनाम धापूदेवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाती है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	